सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 682 राँची, रविवार

29 भाद्र, 1937 (श०)

20 सितम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

21 अगस्त, 2015

1. लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड का पत्रांक-5470, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 तथा पत्रांक-3804, दिनांक 19 सितम्बर, 2013.

2. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-10464, दिनांक-29 अक्टूबर, 2013; पत्रांक-870, दिनांक 29 जनवरी, 2013.

3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-234, दिनांक 3 जून, 2015.

संख्या-7606--लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक-5470, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के कार्यावधि से संबंधित

आरोप-पत्र झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 की धारा-10(1)(क) के तहत् श्री कुंवर को नोटिस तामिला कराने हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप-पत्र में निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं:-

1. श्री उमेश कुमार यादव, गोंदलपुरा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी वर्ष 2009 के राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ पाने वाले किसानों की सूची को बिना प्राप्ति रसीद की जाँच के ही सत्यापित किया गया, जिसके कारण 40 वैसे किसान, जिन्होंने बीमा राशि जमा किया था, लाभ पाने से वंचित रह गये।

2. किसानों की सूची में नाबालिग बच्चों एवं गोंदलपुरा पैक्स क्षेत्र से बाहर के किसानों को भी बिना जाँच के सत्यापन कर पैक्स नियमावली के विरूद्ध बीमा राशि का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया।

माननीय लोकायुक्त से प्राप्त आरोप-पत्र को विभागीय पत्रांक-870, दिनांक 29 जनवरी, 2013 द्वारा श्री कुँवर को नोटिस का तामिला कराने हेतु उपायुक्त, चतरा को भेजा गया। मामले की सुनवाई के पश्चात् माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री कुँवर के विरूद्ध उक्त आरोपों को सही मानते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए अनुशंसा किया गया। आदेश की प्रति उप सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3804, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा पर प्राप्त है।

माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या-10464, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री कुँवर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सिन्हा के पत्रांक-234, दिनांक 03 जून, 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

आरोप संख्या-1. जाँच सावधानीपूर्वक नहीं किये जाने के कारण 40 वैसे किसान राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये, जिन्होंने बीमा राशि जमा किया था। इसकी जिम्मेवारी पैक्स अध्यक्ष एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, बड़कागाँव की तो निःसंदेह थी ही, पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी किसी भूल के लिये उतने ही उत्तरदायी थे। सरकारी निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना आरोपी पदाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व था, जिसका निर्वहन उन्होंने नहीं किया। इससे एक बड़ी सरकारी राशि का दुर्विनियोग फलीभूत हुआ।

आरोप संख्या-2. आरोपी पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई थी कि प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जाँच व सत्यापित बीमा लाभुकों की सूची का ही उन्होंने सत्यापन कर दिया था। उन्होंने अपने स्तर से जाँच नहीं की थी। इस सूची में नाबालिग बच्चों का भी बीमाधारकों में नाम अंकित कर बीमा की राशि प्राप्त कर ली गयी थी। गोंदलपुरा पैक्स के तत्कालीन अध्यक्ष श्री उमेश प्रसाद यादव द्वारा अपने नाबालिग पुत्र-पुत्रियों के नाम 51 एकड़ फर्जी भूमि में फसल बीमा कराकर बीमा राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया था। आरोपी पदाधिकारी आरोपों को नकार नहीं सके हैं। स्पष्टतः पैक्स अध्यक्ष ने अपने स्वार्थ में अपने मनमुताबिक लाभुक बीमाधारकों की सूची तैयार कर बीमा राशि के सुनियोजित दुर्विनियोग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली थी। यदि आरोपी पदाधिकारी ने अपने विवेक व सरकारी निदेश का उपयोग किया होता, तो सरकारी राशि की क्षति नहीं होती।

श्री कुँवर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षा में पाया गया कि श्री कुँवर के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में सही अनुश्रवण करने और सूची की सत्यता तथा धान क्रय के क्रम में अपने स्तर से निगरानी करने के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है तथा रबर स्टांप की तरह काम किया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री कुँवर के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु उनकी सेवा-संपुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि को दण्ड स्वरूप सेवा-संपुष्टि की तिथि से अगले चार वर्षों तक बढ़ाई जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गोपाल कृष्ण कुँवर, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 682—50 ।